

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.भूप्रआ/समु/आरआर/11/2/01/01-03/पार्ट-11

जयपुर, दिनांक:

भू-प्रबन्ध अधिकारी
जयपुर

विषय:- तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर की बन्द की अधिसूचना भिजवाने बाबत।

संदर्भ:- राजस्व (ग्रुप-1) विभाग का पत्रांक प.13(16)राज./ग्रुप-1/2001 दिनांक 21.02.2017।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा जारी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर के एक ग्राम की बन्द की अधिसूचना धारा-106, 107 एवं 108 दिनांक 21.02.2017 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। उक्त ग्रामों का नवीन अभिलेख 15 दिवस में जिला कलक्टर को सुपुर्द कर सूचना मुख्यालय को भिजवावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प./समसंख्यक/589

जयपुर, दिनांक: 06/3/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रोग्रामर, मुख्य कार्यालय, जयपुर को अधिसूचना की प्रति संलग्न प्रेषित है।
2. प्रभारी, डीआईएलआरएमपी प्रकोष्ठ, मुख्य कार्यालय, राजस्थान, जयपुर

5/7/17
अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग


क्रमांक प0 13(16)राज.1/2001

Sm' जयपुर, दिनांक 21 FEB 2017

अधिसूचना

11/3/17

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम सं. 15) की धारा 106 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर के समस्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना क्रमांक प0 13(16)राज-1/01 दिनांक 25.10.2001 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.02.08, 03.09.09, 13.09.11 एवं 20.03.12 द्वारा कुल 210 ग्रामों का सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण होने से पूर्व में बन्द घोषित किया जा चुका है। शेष ग्रामों में से ग्राम जमवारामगढ का सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त ग्राम का सर्वेक्षण/तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता है।



राज्यपाल की आज्ञा से

30

(दुर्गा जोशी)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।

2. जिला कलक्टर, जयपुर।

3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/01/01-02 / पार्ट-11/3189 दिनांक 12.08.16 के क्रम में।

4. अधीक्षक केन्द्रीय मुद्राणालय, राजस्थान जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें।

5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर।

6. रक्षित पत्रावली।

RR

21/3/2017

संयुक्त शासन सचिव


राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

जयपुर, दिनांक 21 FEB 2017

कमांक प0 13(16)राज.1/2001

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम सं. 15) की धारा 107 व 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर के समस्त ग्रामों के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण का कार्य जो अधिसूचना कमांक प0 13(16)राज-1/01 दिनांक 25.10.01 के अन्तर्गत प्रारम्भ करवाया जाकर निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 210 ग्रामों का अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण होने से बन्द घोषित किया जा चुका है। शेष ग्रामों में से ग्राम जमवारामगढ के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से उक्त ग्राम के अभिलेखों के आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य को बन्द घोषित किया जाता है तथा अपर भू-अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।



राज्यपाल की आज्ञा से

६०

(दुर्गा जोशी)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर को उनके पत्र कमांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/01/01-02 / पार्ट-11/3189 दिनांक 12.08.2016 के क्रम में।
4. अधीक्षक केन्द्रीय मुद्राणालय, राजस्थान जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञापित की प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RR
21/3/2017